

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-394

जिसका उत्तर 10 अप्रैल, 2017 को दिया जाना है ।

पानी की कमी वाले क्षेत्रों में ताप विद्युत संयंत्र

*394. श्री राजकुमार धूत:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि ताप विद्युत संयंत्रों में विद्युत का उत्पादन करने के लिए काफी अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या महाराष्ट्र, बुन्देलखण्ड आदि में पानी की कमी वाले क्षेत्रों में ताप विद्युत संयंत्रों की स्थापना की गई है, जिससे वहां पानी की और अधिक कमी हो गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय करने का विचार रखती है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ङ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

"पानी की कमी वाले क्षेत्रों में ताप विद्युत संयंत्र" के बारे में राज्य सभा में दिनांक 10.04.2017 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 394 के भाग (क) से (ड) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) और (ख) : ताप विद्युत संयंत्रों में कंडेसरों और संयंत्र के सहायक हिस्से पुर्जों को ठंडा रखने, राख का राख नहर में निपटान करने, विभिन्न खपतकारी प्रयोगों जैसे, सेवा जल, पीने योग्य जल आदि के लिए पानी की आवश्यकता होती है। ताप विद्युत संयंत्रों (टीपीपी) में दो प्रकार की कूलिंग प्रणालियां उपयोग में लाई जाती हैं, (i) वन्स थ्रू कूलिंग और (ii) क्लोज साइकल कूलिंग। कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में क्लोज साइकल कूलिंग सिस्टम से लगभग 3 से 3.5 घनमीटर/मेगावाट घंटा तक जल की खपत होती है, जबकि ओपन साइकल कूलिंग सिस्टम अधिक जल, अर्थात्, 120 से 150 घनमीटर/मेगावाट घंटा जल की खपत करती है। 01 जून, 1999 से, नए संयंत्रों में वन्स थ्रू कूलिंग बंद कर दी गई है। इस समय, भारत में 90% से अधिक कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र क्लोज साइकल पर आधारित हैं।

ताप विद्युत संयंत्र में खपतकारी जल की मांग वाली मुख्य संयंत्र प्रणालियों/अनुप्रयोगों की विशिष्ट सूची नीचे दी गई है:

अनुप्रयोग का प्रकार	% खपतकारी जल
कूलिंग टावर मेक अप	85%
बायलर वाटर मेक अप	3%
पेय (पीने वाला) जल	1.7%
सेवा जल	6.7%
राख का प्रबंधन तथा उसका निपटान*	-

* राख प्रबंधन प्रणाली की मांग की पूर्ति कूलिंग टावर ब्लो डाउन से की जाती है और इसलिए इसे खपतकारी जल नहीं माना जाता है।

संयुक्त साइकल गैस आधारित विद्युत संयंत्रों में जल की खपत लगभग 1.5 घनमीटर/मेगावाट घंटा होती है।

(ग) और (घ) : कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों की स्थापना भूमि, जल, ईंधन आदि की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए की जाती है। ताप विद्युत परियोजनाओं के लिए जल का आबंटन राज्य की पेयजल, अन्य मानव आवश्यकताओं तथा सिंचाई/कृषि मांग आदि जैसी विभिन्न आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पूर्ण तत्परता के बाद उस संबंधित राज्य सरकार के जल संसाधन विभाग द्वारा किया जाता है, जहां परियोजना स्थित है।

(ड) : ताप विद्युत संयंत्रों में जल की खपत को कम करने के लिए अपनाए जा रहे उपचारात्मक उपाय निम्नलिखित हैं:

- (i) **राख जल पुनःपरिचालन प्रणाली:** राख के तालाब से जल प्राप्त किया जाता है और प्रणाली में पुनः उसका इस्तेमाल किया जाता है।

- (ii) **सूखी फलाई ऐश प्रबंधन प्रणाली तथा उच्च सांद्रण घोल निपटान प्रणाली (एचसीएसडी):** इन राख प्रबंधन तकनीकों से राख के प्रबंधन में जल की कम आवश्यकता होती है जिससे जल की कम खपत होती है।
- (iii) **शून्य जल निस्सरण प्रणाली:** संयंत्र में उत्पादित बेकार पड़े कुल जल का उपचार करने तथा खपतकारी जल प्रणाली में इस जल को वापस लाने से जल की खपत कम होती है।
- (iv) **उच्चतर सांद्रण चक्र (सीओसी) में कूलिंग टावरों का प्रचालन:** इससे संयंत्र द्वारा उत्पादित बेकार पड़े जल में कमी आती है। इस उत्पादित बेकार जल का उपयोग राख के प्रबंधन, कोयला धूल के शमन तथा बागवानी आदि जैसे निम्न श्रेणी के अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है।
- (v) भारत सरकार ने दिनांक 28.01.2016 को नई प्रशुल्क नीति अधिसूचित की है जिसमें यह अधिदेशित किया गया है कि नगर पालिका/स्थानीय निकायों/इसी प्रकार के संगठनों के सीवेज उपचार संयंत्र के 50 किलोमीटर के दायरे के भीतर स्थित मौजूदा संयंत्रों सहित ताप विद्युत संयंत्र, अनिवार्य रूप से सीवेज उपचार संयंत्र से उनकी निकटता क्रम में, इन निकायों द्वारा उत्पादित उपचारित सीवेज जल का प्रयोग करेंगे और इस निमित्त संबद्ध लागत प्रशुल्क में लगाई जाएगी।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-4240
जिसका उत्तर 10 अप्रैल, 2017 को दिया जाना है।

दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डी डी यू जी जे वाई)
के अंतर्गत गांवों का विद्युतीकरण

4240. श्री राम नाथ ठाकुर:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत देश के सभी गांवों को बिजली पहुंचाने के लिए सरकार कृत संकल्प है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) अभी तक देश में कितने गांवों में बिजली की सुविधा नहीं है;
- (घ) बिहार में कितने ऐसे गांव हैं जिनमें अभी तक बिजली नहीं पहुंच पायी है; और
- (ङ) सरकार द्वारा बचे हुए गांवों में कब तक बिजली पहुंचा दी जाएगी, उसकी समय-सीमा सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख): जी, हां। भारत सरकार ने कृषि एवं गैर-कृषि फीडरों के पृथक्करण, उप-पारेषण और वितरण अवसंरचना के सुदृढीकरण एवं संवर्धन, वितरण ट्रांसफार्मरों/फीडरों/उपभोक्ताओं की मीटरिंग तथा गांवों के विद्युतीकरण सहित विभिन्न ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों के लिए दिसम्बर, 2014 में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) की शुरुआत की है।

(ग) से (ङ) : राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार, देश में 5,329 गैर-विद्युतीकृत जनगणना गांव है जिनमें कुछ निर्जन गाँव शामिल हैं। दिनांक 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार, बिहार में 437 गैर-विद्युतीकृत जनगणना गांव है। शेष सभी गैर-विद्युतीकृत गांवों को मई, 2018 तक विद्युतीकृत किए जाने का लक्ष्य है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4241

जिसका उत्तर 10 अप्रैल, 2017 को दिया जाना है ।

कोयला-चालित विद्युत संयंत्रों का उन्नयन

4241. श्री टी. रतिनावेल:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कोयला-चालित विद्युत संयंत्रों का उन्नयन करने के लिए और ज्यादा समय दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पुराने प्रदूषणकारी संयंत्रों को सुपर क्रिटिकल अत्यधिक दक्ष संयंत्रों से बदला जाना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ) : दुर्लभ प्राकृतिक संसाधनों जैसे भूमि, जल और कोयले को संरक्षित करने के लिए संबंधित विद्युत यूटिलिटीयों द्वारा आवश्यक इनपुट भूमि, जल, ईंधन की उपलब्धता और तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता पर आधारित 18,560 मेगावाट की कुल क्षमता के सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत संयंत्रों से बदलने के लिए 7,738 मेगावाट की कुल क्षमता के पुराने और अकुशल ताप विद्युत संयंत्रों/यूनिटों को चिन्हित किया गया है। ऐसे संयंत्रों के ब्यौरे अनुबंध में दिए गए हैं।

राज्य सभा में दिनांक 10.04.2017 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 4241 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

पुरानी सब-क्रिटिकल यूनिटों के प्रतिस्थापन के रूप में सुपर क्रिटिकल प्रौद्योगिकी को अपनाते हुए स्थापित किए जाने वाले नए प्रस्तावित ताप विद्युत संयंत्रों का ब्यौरा

क. राज्य क्षेत्र परियोजनाएं:

राज्य	संयंत्र का नाम	विकासकर्ता का नाम	पुराने/पुराने हो चुके प्रस्तावित संयंत्र की क्षमता (मेगावाट)	नए संयंत्रों की प्रस्तावित क्षमता (मेगावाट)
हरियाणा	पानीपत टीपीएस	एचपीजीसीएल	440	1x800
उत्तर प्रदेश	हरदुआगंज टीपीएस	यूपीआरवीयूएनएल	290	1x660
उत्तर प्रदेश	पंकी टीपीएस	यूपीआरवीयूएनएल	210	1x660
उत्तर प्रदेश	ओबरा टीपीएस	यूपीआरवीयूएनएल	438	2x660
मध्य प्रदेश	अमरकंटक टीपीएस	एमपीपीजीसीएल	280	1x660
मध्य प्रदेश	सतपुड़ा टीपीएस	एमपीपीजीसीएल	312.5 + 830	2x660 + 1x660
महाराष्ट्र	नासिक टीपीपी	महाजैको	250	1x660
महाराष्ट्र	भुसावल यूनिट-2 और पारस यूनिट-2	महाजैको	62.5 62.5	1x660
गुजरात	उकई टीपीएस	जीएसईसीएल	240	1x660
तेलंगाना	कोथागुडम टीपीएस स्टेज-1 से IV और रामागुंडम बी टीपीएस	टीएसपीजीसीएल	782.5	1x800
तमिलनाडु	एन्नोर टीपीएस	टांजैडको	450	1x660
पश्चिम बंगाल	डीपीएल टीपीएस	डीपीएल	280	1x660
पंजाब	रोपार टीपीएस	पीएसपीसीएल	840	3x800
झारखंड	पतरातु टीपीएस	पीवीयूएनएल	360 + 480	5x800
उप-जोड़ (क)			6608	16580

ख. केंद्रीय क्षेत्र परियोजनाएं:

राज्य	संयंत्र का नाम	विकासकर्ता का नाम	पुराने/पुराने हो चुके प्रस्तावित संयंत्र की क्षमता (मेगावाट)	नए संयंत्रों की प्रस्तावित क्षमता (मेगावाट)
पश्चिम बंगाल	डीवीसी दुर्गापुर	डीवीसी	350	1x660
झारखंड	डीवीसी चंद्रपुरा	डीवीसी	780	2x660
उप-जोड़ (ख)			1130	1980
कुल (क+ख)			7738	18560

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4242

जिसका उत्तर 10 अप्रैल, 2017 को दिया जाना है।

सभी के लिए बिजली उपलब्ध कराया जाना

4242. श्री सी. पी. नारायणन:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार की सभी नागरिकों को बिजली उपलब्ध कराने की युक्तिसंगत योजना है;
- (ख) कितनी बस्तियों और कितने वैद्युतीकृत घरों/उत्पादन/केंद्रों वाणिज्यिक कंपनियों को अभी भी बिजली के कनेक्शन प्रदान किए जाने हैं;
- (ग) अभी भी विद्युत कनेक्शन प्राप्त करने वाले लोगों में से कितने आदिवासी और वनों, द्वीपों तथा अन्य दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले एवं झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले लोग हैं; और
- (घ) कितनी और बिजली तथा इसके लिए कितने किलोमीटर बिजली के तार लगाने की आवश्यकता है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : घरों को विद्युत उपलब्ध कराना राज्य सरकार/विद्युत यूटिलिटी का उत्तरदायित्व होता है। तथापि, केंद्र सरकार ने वर्ष 2022 तक सभी परिवारों/घरों, औद्योगिक एवं वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को सभी के लिए 24X7 विद्युत (पीएफए) उपलब्ध कराने तथा राज्य नीति के अनुसार, कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत की पर्याप्त आपूर्ति के लिए राज्य विशिष्ट योजनाएं तैयार करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों के साथ संयुक्त पहल की है।

(ख) और (ग) : जनगणना 2011 के अनुसार, देश में 2467 लाख घर (1679 ग्रामीण + 789 शहरी) थे, इनमें से 808 लाख घर (750 ग्रामीण + 58 शहरी) गैर-विद्युतीकृत थे जिनमें से 112 लाख घर अनुसूचित जनजाति के थे। इसके अतिरिक्त, राज्यों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना तथा गर्व ऐप-II पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार (06.04.2017 की स्थिति के अनुसार) यह अनुमान लगाया गया है कि लगभग 463 लाख ग्रामीण घर हैं जिन्हें अभी विद्युतीकृत किया जाना है।

(घ) : 19वें इलेक्ट्रिक पावर सर्वे (ईपीएस) रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2021-22 के दौरान अखिल भारत आधार पर विद्युत ऊर्जा आवश्यकता एवं व्यस्ततम विद्युत मांग क्रमशः 15,66,023 मिलियन यूनिट तथा 2,25,751 मेगावाट थी। अंतरा-राज्यीय पारेषण लाइन हेतु रोलआउट योजना के अनुसार बिछाई जाने वाली अनुमानित किलोमीटर विद्युत लाइनों का ब्यौरा इस प्रकार है:

वर्ष	2017-18	2018-19
पारेषण लाइन (सीकेएम)	21011.29	19933.32

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4243

जिसका उत्तर 10 अप्रैल, 2017 को दिया जाना है ।

स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों (आई पी पी) से विद्युत आपूर्ति के लिए नए नियम

4243. श्री हरिवंशः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों से विद्युत आपूर्ति प्राप्त करने के लिए नए नियम बनाए हैं;

(ख) क्या ये नियम बनाने से पूर्व राज्यों से परामर्श किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : जी, नहीं। सरकार ने स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों (आईपीपी) से विद्युत आपूर्ति प्राप्त करने के लिए नए नियम तैयार नहीं किए हैं।

(ख) और (ग) : उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4244

जिसका उत्तर 10 अप्रैल, 2017 को दिया जाना है ।

सुबानसिरी लोअर पन-बिजली परियोजना के संबंध में
पी ओ सी की रिपोर्ट पर कार्रवाई

4244. श्रीमती रानी नाराहः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) सुबानसिरी लोअर पन-बिजली परियोजना की परियोजना निगरानी समिति (पीओसी) के असम तथा केंद्र सरकार के सदस्यों द्वारा जनवरी/फरवरी, 2016 में सरकार को प्रस्तुत की गई दो रिपोर्टों पर क्या कार्रवाई की जा रही है;
- (ख) असम में सुबानसिरी नदी के अनुप्रवाह को बनाए रखने तथा नियंत्रित करने के लिए परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और
- (ग) असम में सुबानसिरी नदी के प्रवाह को बनाए रखने तथा नियंत्रित करने के लिए 2016-17 के दौरान बजटीय आवंटन तथा जारी की गई राशि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : विद्युत मंत्रालय ने दोनों रिपोर्टों की विस्तार से जांच करने के पश्चात भारत सरकार (जीओआई) द्वारा नामित विशेषज्ञ सदस्यों द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट का समर्थन करने का निर्णय लिया। परियोजना निगरानी समिति (पीओसी) की दोनों रिपोर्टें 24.08.2016 को माननीय एनजीटी में प्रस्तुत करने से पहले अपने शपथ-पत्र के माध्यम से पीओसी (जीओआई) रिपोर्ट का विधिवत समर्थन करते हुए माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) को प्रस्तुत की गई है।

(ख) और (ग) : असम में सुबानसिरी नदी के डाउनस्ट्रीम को नियंत्रित करने तथा रखरखाव करने के लिए तीन परियोजनाएं नामतः सुबानसिरी अपर परियोजना, सुबानसिरी मिडिल परियोजना और सुबानसिरी लोअर परियोजना की अरुणाचल प्रदेश में सुबानसिरी नदी की जल प्रपात विकास के रूप में परिकल्पना की गई है। एनएचपीसी लिमिटेड ने असम में 145 करोड़ रुपए की लागत से तीन चरणों में कार्यान्वित किए जाने के लिए बांध के डाउनस्ट्रीम में 30 किलोमीटर तक नदी तट सुरक्षा/अपरदन नियंत्रण उपाय भी किए हैं, जिसके लिए वर्ष 2016-17 के दौरान 35 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4245

जिसका उत्तर 10 अप्रैल, 2017 को दिया जाना है।

गांवों का विद्युतीकरण

4245. श्री कपिल सिब्बल:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) गत तीन सालों के दौरान किए गए गांवों के विद्युतीकरण के संबंध में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र और तिथि-वार ब्यौरा क्या है;
- (ख) देश में विद्युत की अपेक्षित अनुमानित मात्रा तथा सरकार के पास वर्तमान में उपलब्ध विद्युत की मात्रा का ब्यौरा क्या है; और
- (ग) इस समस्या को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा मात्रा तथा आमदनी के संबंध में पारेषण तथा वितरण में बिजली के नुकसान का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2014-15 से 2016-17 के दौरान 14,528 गाँव विद्युतीकृत किए गए हैं। राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

(ख) : अप्रैल, 2016 से मार्च, 2017 की अवधि के लिए केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा प्रकाशित विद्युत आपूर्ति स्थिति रिपोर्ट के अनुसार उक्त अवधि के लिए अखिल भारत के आधार पर विद्युत ऊर्जा मांग और व्यस्ततम विद्युत मांग क्रमशः 1,142,092 एमयू और 159,542 मेगावाट है। मार्च, 2017 माह के लिए सीईए द्वारा प्रकाशित (अनंतिम) उत्पादन विवरण रिपोर्ट के अनुसार अखिल भारत स्तर पर उपलब्ध निगरानी की गई क्षमता 268218.73 मेगावाट (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को छोड़कर) है।

(ग) : अखिल भारत स्तर पर मात्रा के संबंध में 2015-16 की अवधि के लिए पारेषण और वितरण में ऊर्जा हानि 240864.30 जीडब्ल्यूएच (21.81%) है।

पारेषण और वितरण हानियों को रोकने के उपायों में हाई वोल्टेज डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम (एचवीडीएस), एरियल बंड केवल (एबीसी), 99.5% से अधिक दक्षता के ट्रांसफार्मरों का उपयोग, पुराने इलेक्ट्रो-मैकेनिकल मीटरों को स्टैटिक मीटरों से बदलना, विद्युत उपकेंद्रों में पर्याप्त क्षमता के कैपिसिटर बैंकों का संस्थापन और पारेषण एवं वितरण लाइनों और उपकरणों का नियमित रख-रखाव शामिल है।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) और एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस) जैसी योजनाएं शुरू की हैं जो अन्य बातों के साथ-साथ हानियों को भी कम करेंगी।

राज्य सभा में दिनांक 10.04.2017 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 4245 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

पिछले तीन वर्षों के दौरान विद्युतीकृत गांवों की संख्या

31.03.2017 की स्थिति के अनुसार

क्रम सं.	राज्य	वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2016-17 के दौरान विद्युतीकृत गांव
1	आंध्र प्रदेश	-
2	अरुणाचल प्रदेश	456
3	असम	2,350
4	बिहार	2,651
5	छत्तीसगढ़	766
6	गुजरात	-
7	हरियाणा	-
8	हिमाचल प्रदेश	36
9	जम्मू व कश्मीर	41
10	झारखंड	2,015
11	कर्नाटक	14
12	केरल	-
13	मध्य प्रदेश	459
14	महाराष्ट्र	-
15	मणिपुर	388
16	मेघालय	725
17	मिजोरम	85
18	नागालैंड	86
19	ओडिशा	2,369
20	पंजाब	-
21	राजस्थान	496
22	सिक्किम	-
23	तमिलनाडु	-
24	तेलंगाना	-
25	त्रिपुरा	26
26	उत्तर प्रदेश	1,526
27	उत्तराखंड	22
28	पश्चिम बंगाल	17
	सकल योग	14,528

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4246

जिसका उत्तर 10 अप्रैल, 2017 को दिया जाना है ।

आंध्र प्रदेश की विद्युत वितरण कंपनियों को
ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आर ई सी) ऋण

4246. श्री टी. जी. वेंकटेश:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश की विद्युत कंपनियों को 60,000 करोड़ रुपये का ऋण मंजूर किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान रूरल इलेक्ट्रिकेशन कारपोरेशन (आरईसी) लिमिटेड ने नीचे दिए अनुसार आंध्रप्रदेश विद्युत कंपनियों को ऋण सहायता स्वीकृत की है :

एपीएसपीडीसीएल	: 1211.37 करोड़ रुपए
एपीईपीडीसीएल	: 112.59 करोड़ रुपए
एपीट्रांसको	: 1928.60 करोड़ रुपए
एपजेको	: 3965.11 करोड़ रुपए

इसके अतिरिक्त, आरईसी लिमिटेड ने वितरण परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए अगले पांच वर्षों (मार्च, 2022 तक) के दौरान 10,000 करोड़ रुपए के ऋण के लिए आंध्रप्रदेश डिस्कामों के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) हस्ताक्षर किया है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-4247
जिसका उत्तर 10 अप्रैल, 2017 को दिया जाना है ।

एन टी पी सी द्वारा बकाया राशि की वसूली

4247. श्री के. आर. अर्जुननः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि एन टी पी सी गत दस माह से बी एस ई एस यमुना पॉवर लिमिटेड से 239 करोड़ की बकाया राशि वसूलने के लिए दबाव डालने पर विचार कर रही है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या यह सच है कि एन टी पी सी दिल्ली की दो डिस्कॉम को प्रतिमाह लगभग 300 करोड़ रुपये की बिजली की आपूर्ति करता है; और
- (घ) क्या यह भी सच है कि एन टी पी सी के साथ बिजली खरीद समझौते की शर्तों के अनुसार, इन डिस्कॉम को एक कलेंडर माह के भीतर अपना भुगतान पूरा करना होता है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : जी, नहीं।

(ग) : एनटीपीसी लिमिटेड बीएसईएस के दो डिस्कॉमों को प्रत्येक महीने लगभग 330 करोड़ रुपए की विद्युत आपूर्ति करता है।

(घ) : जी, हां।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-4248
जिसका उत्तर 10 अप्रैल, 2017 को दिया जाना है।

पुराने तापीय विद्युत संयंत्रों का सर्वेक्षण

4248. डॉ. आर. लक्ष्मणन:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने देश भर में उन तापीय विद्युत संयंत्रों की पहचान करने के लिए सर्वेक्षण कराया है जो 25 साल के अपने कार्यकाल से ज्यादा पुराने हैं;
- (ख) यदि हां, तो सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार ने किसी तापीय विद्युत संयंत्र को बंद करने का प्रस्ताव किया है;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ङ) : दिनांक 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार, कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों की क्षमता जो कि 25 वर्षों से अधिक पुराने थे, लगभग 37,453 मेगावाट थी, जिसमें से सरकारी (केन्द्रीय और राज्य) क्षेत्र में 35,506 मेगावाट क्षमता थी और निजी क्षेत्र में 1,947 मेगावाट क्षमता थी।

जुलाई, 2016 में, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने विभिन्न विद्युत यूटिलिटियों के परामर्श से विभिन्न तकनीकी-आर्थिक मानदंडों के आधार पर हटाने के लिए सरकारी क्षेत्र में लगभग 9000 मेगावाट क्षमता के 25 वर्षों से अधिक पुराने कोयला आधारित संयंत्रों को चिन्हित किया है जिसमें से, अब तक कुल 3,750 मेगावाट क्षमता की कोयला आधारित यूनिटों को हटाया गया है। इसके अतिरिक्त, इसी अवधि के दौरान निजी क्षेत्र में कुल 570.94 मेगावाट क्षमता की गैर-कोयला आधारित ताप यूनिटों को भी हटाया गया है। इस प्रकार, सितंबर, 2015 से अब तक 4320.94 मेगावाट की कुल क्षमता वाली ताप यूनिटों को हटाया गया है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4249

जिसका उत्तर 10 अप्रैल, 2017 को दिया जाना है ।

अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट (यू एम पी पी) की प्रगति

4249. श्री आर. वैद्यलिंगम:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट (यू.एम.पी.पी.) की प्रगति का ब्यौरा क्या है; और

(ख) ऐसे यू.एम.पी.पी. का भविष्य क्या है और उन्हें लगाने में क्या बाधाएं आती हैं, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : विकासकर्ताओं को चार अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट (यूएमपीपी) अर्थात् मध्य प्रदेश में सासन, गुजरात में मुंद्रा, आंध्र प्रदेश में कृष्णापट्टनम और झारखण्ड में तिलैया पहले ही अवार्ड और हस्तांतरित कर दी गई हैं। अवार्ड किए गए चार यूएमपीपी में से दो यूएमपीपी अर्थात् मुंद्रा यूएमपीपी और सासन यूएमपीपी प्रचालन में हैं। अवार्ड किए गए यूएमपीपी की स्थिति **अनुबंध-I** में दी गई है।

विद्यमान और प्रस्तावित यूएमपीपी प्रत्येक की विद्युत उत्पादन क्षमता लगभग 4000 मेगावाट है। परियोजना के विकासकर्ता द्वारा यूएमपीपी के लिए निधि की व्यवस्था की जाती है जिसका चयन विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी किए गए मानक बोली दस्तावेज के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली मार्ग के माध्यम से किया जाता है।

विकास के विभिन्न चरणों के अंतर्गत अन्य यूएमपीपी की स्थिति **अनुबंध-II** में दी गई है।

यूएमपीपी स्थापित जाने में प्रमुख मुद्दे मेजबान राज्यों द्वारा स्थलों को अंतिम रूप दिया जाना, भूमि का स्थानांतरण/अधिग्रहण, वाटर लिकेज की उपलब्धता तथा उपयुक्त कोयला ब्लॉकों की पहचान करना है।

राज्य सभा में दिनांक 10.04.2017 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 4249 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

अवार्ड की गई अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं की स्थिति

क्रम संख्या	यूएमपीपी का नाम	स्थान	स्थिति
1	सासन यूएमपीपी (6x660 मेगावाट)	सासन, जिला सिंगरौली, मध्य प्रदेश	परियोजना मैसर्स रिलायंस पावर लिमिटेड को अवार्ड की गई और 07.08.2007 को अंतरित की गई। परियोजना पूरी तरह से चालू हो गई है।
2	मुंद्रा यूएमपीपी (5x800 मेगावाट)	ग्राम टुंडावंड में मुंद्रा, जिला कच्छ, गुजरात	परियोजना मैसर्स टाटा पावर लिमिटेड को 24.04.2007 को अवार्ड एवं अंतरित की गई। परियोजना पूरी तरह चालू हो गई है।
3	कृष्णापटनम यूएमपीपी (6x660 मेगावाट)	कृष्णापटनम, जिला नेल्लोर, आंध्र प्रदेश	परियोजना मैसर्स रिलायंस पावर लिमिटेड को 29 जनवरी, 2008 को अवार्ड तथा अंतरित की गई। विकासकर्ता ने इंडोनेशिया में कोयला मूल्य निर्धारण के नए विनियम का उल्लेख करते हुए कार्यस्थल पर कार्य रोक दिया है। प्रापकों ने समाप्ति नोटिस जारी कर दिया है। मामला न्यायाधीन है।
4	तिलैया यूएमपीपी (6x660 मेगावाट)	तिलैया गाँव के निकट, जिला हजारीबाग तथा कोडरमा, झारखण्ड	परियोजना मैसर्स रिलायंस पावर लिमिटेड को 07.08.2009 को अवार्ड और अंतरित की गई। विकासकर्ता (झारखंड इंटीग्रेटेड पावर लि.) ने दिनांक 28.04.2015 को विद्युत क्रय करार को समाप्त करने के लिए नोटिस जारी कर दिया है।

राज्य सभा में दिनांक 10.04.2017 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 4249 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

अन्य चिह्नित अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं (यूएमपीपी) की स्थिति

क्रम सं.	यूएमपीपी का नाम	स्थान	स्थिति
ओडिशा			
1	बेडाबहल, ओडिशा	सुन्दरगढ़ जिले में बेडाबहल	मानक बोली दस्तावेजों (एसबीडी) को अंतिम रूप देने तथा इंफ्रा स्पेशल पर्पज व्हीकल (एसपीवी) को कोल ब्लॉक आबंटन के बाद नई बोली जारी की जाएगी।
2	ओडिशा में पहला अतिरिक्त यूएमपीपी	समुद्र तटीय स्थान के लिए भद्रक जिले की चांदबली तहसील में बिजोयपाटना।	स्थल चिह्नित किया गया है।
3	ओडिशा में दूसरा अतिरिक्त यूएमपीपी	जमीनी स्थान हेतु कालाहाण्डी जिले का नारला और कसिंगा उप मंडल	स्थल चिह्नित किया गया है। तथापि, विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 22.09.2016 के पत्र के तहत ओडिशा सरकार का यह निर्णय मांगा है कि वे यूएमपीपी स्थापित करने के इच्छुक हैं या नहीं। उत्तर प्रतीक्षित है।
तमिलनाडु			
4	चेय्यूर यूएमपीपी	गांव चेय्यूर, जिला कांचीपुरम	एसबीडी को अंतिम रूप देने के बाद नई बोली जारी की जाएगी।
5	तमिलनाडु में दूसरा यूएमपीपी	स्थल को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।	सीईए ने दिनांक 22.01.2015 के पत्र द्वारा टेनजेडको से अनुरोध किया है कि वह तमिलनाडु में द्वितीय यूएमपीपी की स्थापना के वैकल्पिक स्थल चिह्नित करे।
झारखण्ड			
6	देवघर (झारखंड का दूसरा) यूएमपीपी	हुसैनाबाद, देवघर जिला	ऑपरेटिंग एसपीवी अर्थात देवघर मेगा पावर लि. तथा अवसरचना एसपीवी अर्थात देवघर इंफ्रा लिमिटेड को क्रमशः दिनांक 26.04.2012 तथा दिनांक 30.06.2015 को निगमित किया गया। विद्युत मंत्रालय (एमओपी) ने दिनांक 24.02.2016 को कोयला मंत्रालय (एमओसी) से, भू-वैज्ञानिक रिपोर्ट (जीआर) वाले उपयुक्त कोयला ब्लॉक चिह्नित करने का अनुरोध किया है।
गुजरात			
7	गुजरात का दूसरा यूएमपीपी	---	दिनांक 12.01.2016 को सीईए तथा पीएफसीसीएल की एक टीम ने यूएमपीपी की स्थापना की संभावनाओं की तलाश

			<p>करने के लिए गुजरात सरकार द्वारा चिह्नित गिर सोमनाथ जिले में स्थल का दौरा किया। स्थल को अंतिम रूप देने के लिए 03.11.2016 को एक बैठक आयोजित की गई थी।</p> <p>तथापि, विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 06.10.2016 के पत्र के तहत गुजरात सरकार से अनुरोध किया है कि क्या गुजरात सरकार यूएमपीपी को जारी रखने में इच्छुक है।</p>
कर्नाटक			
8	कर्नाटक	कर्नाटक सरकार ने मंगलोर तालुका, दक्षिण कन्नड़ जिले के निडोडी गांव में उपयुक्त स्थल चिन्हित किया है।	<p>सीईए द्वारा दक्षिण कन्नड़ जिले के मंगलौर तालुका के निडोडी गाँव के लिए स्थल से संबंधित मामलों का विशेष उल्लेख करते हुए स्थल दौरा रिपोर्ट कर्नाटक सरकार को भेज दी गई है और मामलों के शीघ्र समाधान का अनुरोध किया गया।</p> <p>तथापि, विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 22.09.2016 के पत्र के तहत कर्नाटक सरकार का यह निर्णय मांगा है कि वे यूएमपीपी स्थापित करने के इच्छुक हैं या नहीं। उनका उत्तर प्रतीक्षित है।</p>
महाराष्ट्र			
9	महाराष्ट्र	---	<p>स्थानीय लोगों के विरोध के कारण परियोजना को अभी बंद दिया गया है। विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 22.09.2016, 15.11.2016 और 04.01.2017 के पत्रों के माध्यम से महाराष्ट्र सरकार से औपचारिक पुष्टि मांगी है। उनका उत्तर प्रतीक्षित है।</p>
बिहार			
10	बिहार	बांका जिले में ककवारा	<p>अवसंरचना एसपीवी अर्थात बिहार इंफ्रा पावर लिमिटेड तथा ऑपरेटिंग एसपीवी अर्थात बिहार मेगा पावर लिमिटेड क्रमशः दिनांक 30.06.2015 तथा दिनांक 09.07.2015 को निगमित किए गए। कोयला मंत्रालय ने पीरपेंती/बराहट कोयला ब्लॉकों की अनंतिम सिफारिश कर दी है।</p>
उत्तर प्रदेश			
11	उत्तर प्रदेश में यूएमपीपी	एटा	<p>दिनांक 21.07.2015 को सचिव (विद्युत), भारत सरकार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में प्रधान सचिव (ऊर्जा), उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि उत्तर प्रदेश में यूएमपीपी के लिए एटा की पहचान की गई</p>

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4250

जिसका उत्तर 10 अप्रैल, 2017 को दिया जाना है ।

दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) और
उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (यूडीएवाई) का कार्यान्वयन

4250. डॉ. कनवर दीप सिंह:

श्री देरेक ओब्राईन:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के अंतर्गत विद्युतीकरण किए जा चुके गांवों की संख्या कितनी है;
- (ख) इसके अंतर्गत विद्युतीकरण किए जा चुके घरों की संख्या कितनी है;
- (ग) डिस्कॉम को लाभप्रद बनाने में सहायता करने के लिए उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना को अपनाने वाले राज्यों की संख्या कितनी है;
- (घ) विभिन्न राज्यों में उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना के कार्यान्वयन की स्थिति क्या है;
- (ङ) इस योजना के अंतर्गत कितने राज्य और डिस्कॉम कर्तव्य निर्वाह करने में असफल हो गए हैं; और
- (च) उनके विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के ग्रामीण विद्युतीकरण घटक सहित 2014-15 से 2016-17 के दौरान 14,528 गैर-विद्युतीकृत जनगणना गांव विद्युतीकृत किए गए हैं, और 44.40 लाख गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के घरों को निःशुल्क विद्युत सर्विस कनेक्शन दिए गए हैं।

(ग) : अब तक की स्थिति के अनुसार, छब्बीस (26) राज्य तथा एक (1) संघ राज्य क्षेत्र उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) में शामिल हो गए हैं।

(घ) : यह योजना भागीदार राज्यों में कार्यान्वयन के चरण में है। राज्यों ने 208641.29 करोड़ रुपए मूल्य के बांड जारी किए हैं। इसके अतिरिक्त, 23859 करोड़ रुपए के मूल्य के डिस्कॉम बांड भी जारी किए हैं। राज्यों/डिस्कॉमों ने प्रचालनात्मक मानदंडों जैसे समग्र तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानि तथा आपूर्ति की औसत लागत - औसत प्राप्त राजस्व (एसीएस-एआरआर) अन्तर को कम करने में सकारात्मक रुख दर्शाया है।

(ङ) और (च) : उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4251

जिसका उत्तर 10 अप्रैल, 2017 को दिया जाना है ।

विद्युत संयंत्रों द्वारा पर्यावरणीय हितों की रक्षा करना

4251. श्री के. आर. अर्जुननः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की एक रिपोर्ट के अनुसार देश में मौजूदा विद्युत संयंत्र, पर्यावरणीय हितों की रक्षा के लिए बनाए गए मापदंडों का पालन नहीं कर रहे हैं;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या यह भी सच है कि रिपोर्ट में 216 परियोजनाओं का उल्लेख था जिन्हें जनवरी 2011 और जुलाई 2015 के बीच स्वीकृति प्रदान की गई थी; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ) : भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने 10 मार्च, 2017 को प्रस्तुत अपनी वर्ष 2016 की रिपोर्ट सं.39 में विभिन्न क्षेत्रों की 216 परियोजनाओं, जिन्हें वर्ष 2011 से जुलाई, 2015 के कैलेंडर वर्षों के बीच पर्यावरणीय स्वीकृति (ईसी) प्रदान की गई थी, को पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एंड सीसी) में विचारार्थ विषय (टीओआर) तथा पर्यावरणीय स्वीकृति (ईसी) प्रदान करने की प्रक्रिया की जांच करने के लिए नमूने लिए गए। इस जांच में विद्युत क्षेत्र की 48 परियोजनाएं - 7 नदी घाटी और जल विद्युत परियोजनाएं (आरवी एंड एचईपी) तथा 41 ताप विद्युत परियोजनाएं शामिल हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया है कि 7 आरवी एंड एचईपी तथा 9 ताप विद्युत परियोजनाओं में पर्यावरणीय स्वीकृति (ईसी) मानकों की विभिन्न स्तरों पर अनुपालना नहीं की गई है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-4252
जिसका उत्तर 10 अप्रैल, 2017 को दिया जाना है ।

झारखंड में उजाला योजना आरंभ करना

4252. डॉ. प्रदीप कुमार बालमुचू:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में झारखंड में सस्ते एलईडी के द्वारा सभी के लिए उन्नत ज्योति (उजाला) योजना आरंभ की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आगामी वित्तीय वर्ष हेतु सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य क्या हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : जी, हां। विद्युत मंत्रालय के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (पीएसयू) की एक संयुक्त उद्यम कंपनी एनर्जी एफिसिएन्सी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) द्वारा 15 नवम्बर, 2015 को झारखंड राज्य में "सभी के लिए सस्ती एलईडी द्वारा उन्नत ज्योति" (उजाला) योजना शुरू की गई है। दिनांक 31.03.2017 के अनुसार, 87.94 लाख से अधिक एलईडी बल्ब झारखंड में इस योजना के अंतर्गत ईईएसएल द्वारा वितरित किए गए हैं।

(ग) : ईईएसएल ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान झारखंड राज्य में 20 लाख एलईडी बल्बों के वितरण के लक्ष्य का प्रस्ताव किया है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4253

जिसका उत्तर 10 अप्रैल, 2017 को दिया जाना है ।

कर्णाटक में विद्युत परियोजनाएं

4253. श्री बसावाराज पाटिल:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केंद्रीय सरकार के अंतर्गत कर्णाटक में विद्युत परियोजनाओं तथा उनकी क्षमता का ब्यौरा क्या है; और

(ख) जारी परियोजनाओं तथा अभी आरंभ होने वाली परियोजनाओं का उनकी शक्ति तथा उत्पादन लागत सहित ब्यौरा क्या है और उनके कब तक पूरा होने की संभावना है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : कर्णाटक में केन्द्र सरकार के अधीन विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा और क्षमता अनुबंध में दी गई है।

(ख) : केन्द्रीय क्षेत्र में कुडगी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट (एसटीपीपी) चरण-1 (यूनिट-3) 15,166.19 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत (सभी तीन इकाइयों के लिए 3X800 मेगावाट) से कर्णाटक में निर्माणाधीन है। यूनिट-3 को चालू करने की प्रत्याशित तारीख 01.08.2017 है।

राज्य सभा में दिनांक 10.04.2017 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 4253 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

केंद्र सरकार के अंतर्गत कर्नाटक में मौजूदा विद्युत परियोजनाएं

राज्य	क्षेत्र	परियोजना का नाम	प्राइम मूवर	यूनिट	कुल क्षमता	चालू होने की तिथि
कर्नाटक	केंद्रीय क्षेत्र	कैगा ए.पी.एस.	न्यूक्लियर	1	220	26/9/2000
		कैगा ए.पी.एस.	न्यूक्लियर	2	220	2/12/1999
		कैगा ए.पी.एस.	न्यूक्लियर	3	220	11/4/2007
		कैगा ए.पी.एस.	न्यूक्लियर	4	220	20/1/2011
		कुडगी एसटीपीपी	स्टीम	1	800	25/12/2016
		कुडगी एसटीपीपी	स्टीम	2	800	23/03/2017
